रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1874] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2015/भाद्र 13, 1937
No. 1874] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

सं. 88/2015-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2409(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा) 1 (तथा धारा 5 की उप-धारा) 1 (के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड एतत द्वारा मैसर्स कैंडेक्स केमिकल्स फाइबर कंपनी प्रा. लि., प्लाट नं .62, ईपीआईपी, फेज-1, झारमजरी, तेहसील बड्डी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य को डीआरई फा. सं. 50 डी/70/2013-सीआई/1079-1092 दिनांक, 1 अप्रैल 2014, के दिनांक का 13 जनवरी 2015, डीआरआई 50डी/70/2013-सीआई तथा दिनांक 27 जुलाई, 2015, डीआरआई फा. सं. 50 डी/70/2013-सीआई/2751 से 2764 के साथ पठित शुद्धि पत्र के तहत जारी अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, (मुख्यालय) नई दिल्ली द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामले में न्याय निर्णयन के लिए –

(i) संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क (निर्यात) इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;

(ii) संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, (निर्यात) आयुक्तालय; नयू कस्टम हाऊस निकट आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गए कर्त्तव्यों को निर्वहन करने के लिए एतत द्वारा संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क (निर्यात) इनलैंड कंटेनर डिपो तुगलकाबाद, नई दिल्ली को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/72/2014-सीमा शुल्क IV]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2015

No. 88/2015-Customs (N.T.)

S.O. 2409(E).–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint/Additional Commissioner of Customs (Export) Inland Container Depot, Tughalakabad, New Delhi to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on:—

(i) the Joint/Additional Commissioner of Customs (Export) Inland Container Depot, Tughalakabad, New Delhi;

(ii) the Joint/Additional Commissioner of Customs, Export Commissionerate, New Custom House, Near I G I Airport, New Delhi,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show-cause notice pertaining to M/s Candex Chemicals Fibre Company Pvt. Ltd., Plot No. 62, EPIP, Phase-I, Jharmajri, Teh. Baddi, District Solan, Himachal Pradesh and others issued *vide*, DRI F.No. 50D/70/2013-CI/1079-1092, dated the 1st April, 2014 read with corrigendum DRI F. No. 50D/70/2013-CI, the dated 13th January, 2015 and DRI F.No. 50D/70/2013-CI/2751 to 2764, dated the 27th July, 2015 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence (Hqrs,), New Delhi.

[F. No. 437/72/2014-Cus. IV]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.